तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज परमेश्वर प्रजापत बनाम लो.सू.अ.(अपर जिला कलक्टर प्रथम जोधपुर) सू.अ.अ. अपील संख्या 03/2021	नं0 व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
01.03.21	अपीलार्थी परमेश्वर प्रजापत, पता प्रजापत भवन, राजभवन के सामने, होटल फर्न रेजिडेन्सी के पास, शिव रोड़ रातानाडा जोधपुर ने सूचना का अधिकार के तहत प्रार्थना–पत्र दिनांक 25.10.2020 में उसके द्वारा (1) जिला कीड़ा परिषद जोधपुर का गठन व वर्तमान पदाधिकारियों एवं सदस्यों की सूची मय पता व सम्पर्क नम्बर की प्रमाणित प्रतियां व अन्य बिन्दुओं, से संबंधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी (अतिरिक्त जिला कलक्टर जोधपुर) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो.पक्ष (अपर कलक्टर प्रथम जोधपुर) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई। अपीलार्थी अनुपस्थित। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पो.पक्ष (अपर कलक्टर प्रथम जोधपुर) से जरिये पत्रांक 130 दिनांक 18.01.2021 तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसमें बतलाया कि प्रार्थी के प्रार्थना पत्र में वर्णित सूचना इस कार्यालय से संबंधित न होकर राज. राज्य कीड़ा परिषद, जयपुर को धारा 6(3) के तहत इस कार्यालय के पत्र संख्या 1028 दिनांक 11.11.2020 द्वारा अंतरित कर प्रार्थी को सूचना उपलब्ध कराने हेतु लिखा गया था जिसकी प्रति प्रार्थी को भी पृष्ठांकित की गई थी। चूंकि लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपीलार्थी/प्रार्थी का प्रार्थना पत्र राज्य लोक सूचना अधिकारी (राजस्थान राज्य कीड़ा परिषद, सवाई मानसिंह स्टेडियम, जयपुर) को स्थानान्तरित किया जा चुका है अतः लोक सूचना अधिकारी (अपर जिला कलक्टर प्रथम जोधपुर) कार्यालय स्तर पर कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है तथा राजस्थान राज्य कीड़ा परिषद जयपुर के लोक सूचना अधिकारी के अपीलीय अधिकारी जिला कलक्टर जोधपुर नहीं होने से यह अपील इस स्टेज पर निरस्त योग्य होने से निरस्त की जाती है। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया।	